हिन्दी अनुवाद

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
जीएसटी आयुक्त का कार्यालय, गुवाहाटी
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GST
सेठी ट्रस्ट बिल्डिंग, पाचवीं मंजिल, जी .एस रोड, भांगागढ़ , गुवाहाटी-781005
SETHI TRUST BUILDING, 5TH FLOOR, G.S. ROAD, BHANGAGARH, GUWAHATI – 781 005

राष्ट्र कर बाजार

C.No.IV(16)106/Hqrs./Tech/Ghy/16 Dated 01.7.2017

प्रैस विज्ञपति

दिनांक 01.07.2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है। यह मध्य रात्रि को उस वक्त अस्तित्व मे आया, जब भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा गणमाण्य व्यक्तियों की मौजूदगी में संसद के केन्द्रीय हॉल से इस ऐतिहासिक जीएसटी को मध्यरात्रि में लांच किया।

"जीएसटी डे"

इस ऐतिहासिक दिन को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड,(सीबीईसी), राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में "जीएसटी डे" के रूप मे मनाया जाएगा। अत: यह आयुक्तालय भी एक नए अवतार , जीएसटी आयुक्तालय, गुवाहाटी के रूप में "जीएसटी डे" बहुत जोशो-खरोश के साथ मना रहा है। अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित किया जा रहा है। निफडी हाउस में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार के जीएसटी अधिकारी एवं व्यापार निकाय के पदाधिकारी एवं व्यापर जगत के सदस्य भाग लेंगे।

प्रशिक्षण एवं आउटरिच प्रोग्राम

जीएसटी की यात्रा फील्ड स्तर पर शुरू हो चुकी है उत्तर पूर्व में पदस्थापित सीबीईसी के अधिकारियों एवं राज्यों के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जीएसटी विधि की प्रशिक्षण नासेन द्वारा दिया गया है। तदुपरांत सीबीईसी एवं राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा मिलजुल कर वृहत आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया हैइसके अलावा, अनेक जीएसटी कार्यशाला एवं जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न व्यापार निकाय जैसे OIL, ONGC,IOCL,NRL,HPCL,COALINDIA LTD, INDIAN RAILWAYS, ASSAM TEA PLANTER, ASSOCIATION, AG कार्यालय, गुवाहाटी चाय निलाम केन्द्र एमएसएमई, टाटा ग्रुप, विभिन्न वाणिज्यिक चैंबर एवं अखिल भारतीय विनिर्माण संस्था के साथ किया गया है।

जीएसटी सेवा केन्द्र सीबीईसी के आयुक्तालय एवं मंडल मुख्यालयों में खोले गए है लेकिन अब इन केन्द्रों को रेंज कार्यालय स्तर पर भी खोला जा रहा है। गुवाहाटी आयुक्तालय द्वारा कार्यालय के दो वाहनों को जीएसटी मोबाईल वेन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन वाहनों को वृहत रूप से आउटरिच कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है. यह सेवा केन्द्र का ही एक विस्तारित रूप है। इससे जीएसटी को लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिली है। यह वाहन लैपटॉप एवं नेट कनिक्विटी से लैस है एवं इससे जीएसटी माईग्रेशन प्रोसेस में सहायता प्रदान करती है।

<u>उत्तर पूर्व में अतिरिक्त जीएसटी आयुक्तालय की स्थापना</u>

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर में उत्तर पूर्व में तीन आयुक्तालय स्थापित थे जो पूरे उत्तर पूर्व सातों राज्यो को कवर करते थे। इस क्षेत्र में करदाता बिखरे हुए थे, जिन्हे केन्द्रित सेवा की आवश्यकता थी. जीएसटी लागू हो जाने के बाद कि राजस्व विभाग सीबीईसी ने प्रत्येक राज्यों मे एक-एक आयुक्तालय स्थापना की स्थापना कर दी है एवं आयुक्तालय में अधिकारियों की पदस्थापना भर कर दी है।

<u>अंतर-राज्यिक द्वार</u>

अंतर-राज्यिक द्वार के की देख रेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस संबंध में अधिक एवं सटीक जानकारी हेतु मिडिया को राज्य सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

<u>मिडिया से अपील की वे वर्तमान करदाता एवं संभावी कर दाता को निम्नलिखित की सूचना दें।</u>

क)यदि आपके व्यापार का टर्नओवर 10 लाख से उपर है एवं आप असम राज्य के भीतर व्यापार करते है तो कृपया अपना पंजीकरण करें, कर का भुगतान करे एवं राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें।
ख)अगर आप अंतर-राज्यिक व्यापार करते है (अन्य कतिपय स्थिति में) कृपया नोट करे, इस मामले में 10 लाख के थेर्सहोल्ड सीमा की कोई छूट लागू नही होगी। आप को पंजीकरण करवा कर कर का भुगतान करना होगा।
ग)व्यापर जगत से अनुरोध है कि अगर वे किसी भी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे है तो वे बेझिझक कर प्राधिकारियों से सम्पर्क करें।

श्रीबास धर

श्रीबास धर

सहायक आयुक्त (जन-सिलु)